प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 00776/2023-2024

दिनांक 20/06/2023

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या:R/FIR/03399/2023-2024

पत्रावली संख्या:AG-58426 दिनांक:2013-2014

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **विद्याराम शिक्षण संस्थान, ग्राम सराय हैवतपुर पो॰ सिरसागंज फिरोजाबाद, फिरोजाबाद , 205151** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 356/2013-14 दिनांक-29/05/2013 को दिनांक-28/05/2023 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1100 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(DILEEP KUMAR GUPTA)
DB1BF95212F50CF926F6B9BDF7A1D8CC304F41C3
Date: 20/06/2023 6:32:26 PM, Location: Agra.

जारी करने का दिनांक-20/06/2023

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

HARIOM VERMA
Stamp Vender
Licence No.:- 15
E-Stamping Acc-ID UP-14556404
Kailashpuri, Agra

Certificate No.	:	IN-UP40357678900750V
Certificate Issued Date	:	21-Jun-2023 12:03 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14556404/ AGRA SADAR/ UP-AGR
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1455640475678282794286V
Purchased by	:	VIDHYARAM SHIKSHAN SANSTHAN FIROZABAD
Description of Document	:	Article 19 Certificate or other Document
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	VIDHYARAM SHIKSHAN SANSTHAN FIROZABAD
Second Party	:	UPRFSC
Stamp Duty Paid By	:	VIDHYARAM SHIKSHAN SANSTHAN FIROZABAD
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

IN-UP40357678900750V

Please write or type below this line

यह ब्यनाम स्टाम्प पेपर विद्याराम शिक्षण संस्थान जिला फिरोजाबाद फाइल नं० Ag. 50426 के साथ संलग्न है।

स्मृतिपत्र

प्रधान सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
21/6/23

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

स्मृति पत्र

1– संस्था का नाम– विद्याराम शिक्षण संस्थान।

2– संस्था का पता– ग्रा० सराय हैवतपुर पो० सिरसागंज फिरोजाबाद।

3– संस्था का कार्यक्षेत्र– समस्त उ०प्र० होगा।

4– संस्था का उद्देश्य–

1– शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना व शिक्षा विकास हेतु जगह–जगह विद्यालयों, मदरसों की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर छात्र– छात्राओं का सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक,शैक्षिक, चारित्रिक, शारीरिक, साहित्यिक, रचनात्मक, एंव कलात्मक उन्नति का समुचित प्रयास करना।

2– शिक्षा विकास हेतु प्राईमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा व्यवस्था हेतु स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पी०जी० कॉलेज की स्थापना करना तथा निःशुल्क दूरस्थ शिक्षा, तकनीकी, व्यवसायिक, औद्यौगिक एंव ग्रामोद्योगी व कृषि शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर युवक–युवतियों को स्वावलम्बी एंव आत्म निर्भर बनाना।

3– निर्धन, अनाथ, अपंग अनुसूचित जाति जन जीति बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व उनके छात्रवृत्ति की समुचित व्यवस्था करना तथा बच्चों की सुविधा हेतु छात्रावास एंव पुस्ताकालय, वाचनालय, क्रीड़ा स्थल, व्यायामशाला की व्यवस्था करना, एंव शैक्षिक व खेल प्रतिभा की प्रतियोगिताओं को आयोजित करना।

4– शिक्षा विकास हेतु आधुनिक पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण संस्थानों की स्थापना विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त कर स्थापित करना तथा सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०सी० शिक्षा पद्धत्ति के शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर उनका विधिवत प्रबन्धन संचालन करना।

5– युवक–युवतियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना व उन्हें शिक्षित कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना शिक्षा के प्रति उन्हें जागरूक करना तथा उनके बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना बच्चों की सुविधा हेतु पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रावास, क्रीड़ाकेन्द्रों, व्यायामशाला आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना तथा निर्धन अनाथ अपंग बच्चों, मेधावी बच्चों को छात्रवृत्तियॉ दिलाना।

6– नागरिकों के सर्वांगीण विकास हेतु शहरी एंव ग्राम्य क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों एंव मलिन बस्तियों में स्वच्छता, साक्षरता, परिवार नियोजन, शिशु पोषण महिला एंव बाल विकास कार्यक्रम बाल टीकाकरण कार्यक्रमो, गर्भवती महिलाओं का निःशुल्क स्वास्थ परीक्षण आदि कार्यक्रम चलाना तथा उनके कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रहीं योजनाओं की उन्हें जानकारी देना एंव समय–समय पा जागरूकता शिविरों का आयोजन करना।

7– नागरिकों में सामाजिक जन चेतना जागृत करना एंव विज्ञापन, पोस्टर, बैनर आदि के माध्यम से एड्स, कैंसर, हैपेटाइटिस बी आदि जानलेवा बीमारियों से बचने के उपाय सुझाना एंव इन पर प्रभावी अंकुश लगाने का भरसक प्रयास करना एंव मद्यनिषेध कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर चलना।

8– .समय–समय पर सॉस्कृतिक कार्यक्रनों एंव जागरूकता शिविरों, निःशुल्क स्वास्थ रक्षा शिविरों, नेत्र रक्षा कैम्पों, विचार गोष्ठियों राहत शिविरों, जनजागृति शिविरों, कलाप्रदर्शनी प्रौढ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मद्यनिषेध कार्यक्रम चलाना।

9– देश विदेश एंव प्रदेश की समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना एंव उनका सहयोग करना एंव ऐसी संस्थाओ से वित्तीय अनुदान, ऋण, सहयोग प्राप्त कर समाज विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना।

10– युवाओं में राष्ट्रीय एकता, सामुदायिक विकास आपसी सदभावना जैसे का विकास करना तथा उनके प्रचार प्रसार सहयोग देना। राष्ट्रीय विकास और समाज सेवा से कार्यक्रमों के संचालन से सहयोग प्रदान करना।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
21.6.23

11– संस्था का उददेश्य ग्रामीण क्षेत्रों एंव शहरी क्षेत्रों में नागरिक की सुविधा हेतु सामुदायिक केन्द्रों, धर्मशाला एंव अन्य धर्मार्थ संस्थाओं शिक्षा संस्थानों, निशुल्क औषाधालयों का निर्माण व उसके संचालन की पूर्ण व्यवस्था करना

12– केन्द्रीय एंव राज्य सरकार के सहयोग से चलायी जा रही योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों एंव शहरी क्षेत्रों में गन्दे पानी की निकासी हेतु नाली कच्चें पक्के नालों का निर्माण एंव मार्गों को जोडने के लिये पुलों का निर्माण कराना

13– निराश्रित महिलाओं एंव अनाथ बच्चों कल्याण हेतु समय पर विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना, ऑगनवाडी, वालवाडी, नारी निकेतन, प्रौढ शिक्षा केन्द्रों अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सांस्कृतिक कना केन्द्रों व बानश्रमिकों बच्चों के उत्थान हेतु बाल श्रमिक विद्यालय की स्थापना कर उनके उत्थान हेतु कार्य करना मथा बच्चों को मध्यान्ह भोजन व्यवस्था में सहयोग करना।

14– केन्द्रीय एंव राज्य सरकार, निगम बोर्ड, सम्बन्धित विभागों के वित्तीय सहयोग से युवक युवतियों के कल्याण हेतु व उन्हें आत्म निर्भर व स्वावलम्बी बनाने हेतु सुलभ रोजगारपरक प्रशिक्षण जैसे सिलाई, कढाई, कनाई, बुनाई, हस्तशिल्पकला, वास्तुकला, दस्तकारी, दरी, कालीन, ड्राइंग पेंटिंगकला प्रशिक्षण, टंकण, पटकथा लेखन, आशुलिपि, संगीत, गायन, वादन, नाट्य कला प्रशिक्षण एंव कम्प्यूटर प्रशिक्षण (हार्डवेयर साफटवेयर, इन्टरनेट), इलैक्ट्रक, इलैक्ट्रॉनिक्स सामना कर मरम्मत, वीडीयो एंव फोटोग्राफी, चलचित्र सम्पादन, फैशन डिजायनिंग, टैक्सटाइ, डिजायनिंग, वयूटीशियन आदि का प्रशिक्षण देकर/दिलाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, तथा उनसे जागरूकता पैदा करना।

15– शहरी एंव ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय एंव राज्य सरकार निगम तथा बोर्ड आदि के सहयोग से सम्बन्धित विभागों एंव मंत्रालयों द्वारा क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न कल्याण कल्याणकारी योजनायें जैसे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था व पानी की समस्या हेतु हैण्डपम्प, टंकी लगवाना, क्षेत्र को मुख्या सम्पर्क मार्ग से जोडने हेतु सडक, खडंजा तथा मलिन बस्तियों का सुधार, सफाई व शौचालयों, सामुदायिक केन्द्रों, आश्रय स्थल की स्थापना एंव निर्माण कराना तथा लागों को समाज की मुख्य धारा से जो जोडने का प्रयास करना।

16– कृषि प्रधान देश में किसानों की सोचनीय दशा को ध्यान में रखते हुए उन्नत कृषि को बढ़ावा देना व उन्नत कृषि के बारे में किसानों को कृषि विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण देना तथा किसानों में परस्पर सहयोग की भावना पैदा कर उन्नत कृषि को अपनाने पर बल देना, जैविक खाद के उपयोग, प्रचार प्रसार तथा किसानों को इसकी उपयोगिता के बारे में सभी प्रकार के प्रशिक्षण देने से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित कराना।

17– पर्यावरण सुधार हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन कर नागरिकों को पर्यावरण विकार के लिए प्रेरित करना एंव जगह–2 वृक्षारोपण कराना एंव पर्यावरण रक्षा गोष्ठियों का आयोजन कर बढते प्रदूषण को कम करने का हर सम्भव प्रयास करना।

18– सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों को चलाना व खाली पडी ऊसर बंजर भूमि पर सघन वृक्षीकरण का कार्य कर वनीकरण को बढावा देना व अवैध लकडी कटाई को रोकने में सरकार का सहयोग करना, तथा ग्लोवल वार्मिंग के बारे में आजोन परत के बारे में लोगों को जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

19– ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गीपालन, भेड पालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन, मौनपालन, पशुपालन, आदि को बढावा देना, तथा फ्लोरिकल्चर, एंव अन्य उन्नतकृषि को बढावा देना एंव कृषि सेवा केन्द्रो की स्थापना तथा मशरूम की खेती व प्लान्टेशन कार्य के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा कर उन्हें रचनात्मक कार्यो की ओर प्ररित कर गॉवों को सर्वागीण विकास करना तथा औषधीय पौधों की पैदावार बढ़ानें व उनसे बनने वाली दवाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने का प्रयास करना।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्या0 उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
21-6-23

20– समाज के सर्वागीण विकास हेतु सामाजिक पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि का निशुल्क प्रकाशन एंव विमोचन करने का प्रयास करना।

21– खाद्य प्रसंस्करण के अन्तर्गत फलों का संरक्षण प्रशोधन पैकिंग करना व खाद्य प्रसंस्करण के अन्तर्गत आने वाली प्राकृतिक वस्तुओं को खाने योग्य बनाना व उनके विपणन की व्यवस्था करना तथा प्राप्त आय संस्था के हितार्थ उद्देश्यों की पूर्ति एंव चैरेटैबल कार्यो परव्यय करना।

22– जल प्रबन्ध, कृषि अभियन्त्रण, कृषि रक्षा, कृषि आधारित ग्राम उद्योग, यॉत्रिक अविष्कार, अनुसंधान के सम्बन्ध में कार्य करना तथा बंजर भूमि व ऊसर भूमि सुधार कार्यक्रमों का संचालन कर भूमि को उपजाऊ व कृषि योग्य बनाना।

23– समाज के अपेक्षित लोगों जैसे अन्धे, कुष्ठ रोगी व मूक वधिरों विकलॉगों व निराश्रित, लाचार बच्चों–बृद्धजनों के कल्याण के लिए कार्यकरना, बालआश्रम, अनाथलय एंव वृद्धाश्रम, विकलॉग आश्रम, विधवा आश्रम की स्थापना करना।

24– संस्था का उद्देश्य अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं को शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु कॉलेज तथा नियमानुसार महाविद्यालय एंव उर्दू अरबी, फरसी, मदरसों, आई०टी०आई०, इन्जीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना करना।

25– उ०प्र० खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/खादी ग्रामोद्योग आयेग के सहयोग से ग्रामोद्योगी इकाइओं की स्थापना करना, चलाना व उसके शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था कर निर्धन युवक युवतिओं व नागरिकों को रचनात्मक कार्यक्रमों की ओर आकर्षित करना।

26– अपराम्परिक ऊर्जा श्रोत संयत्रों गोवर गैस ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा पर आधरित कार्यक्रमों का प्रदर्शन एंव विकास करना।

27– अल्पसंख्यकों, पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आवासीय विद्यालयों, मदरसों, प्रशिक्षण केन्द्रों एंव विभिन्न प्रकार की तकनीकी केन्द्रों की स्थापना कराना, महिला विकास कार्यक्रम, एंव प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमों की व्यवस्था कराना।

28– महिलाओं को स्वरोजगार व आत्म निर्भरता प्रदान करने हेतु स्वंय सहायता समूहों, महिला स्वंय सहायता समूहो का गठन करना व उनके कल्याण हेतु चलाई जा रही समस्त कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

29– निर्धन अनाथ लोगों व पिछडे क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय एंव राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों मंत्रालयों जैसे स्वास्थ परिवार कल्याण मंत्रालय, यूनीसेफ, हडको, महिला एंव बाल विकास विभाग, कपार्ट, काई, सिप्सा, नावार्ड, आवार्ड, नौराड, डूडा, सिडवी, राष्ट्रीय महिला कोष, बाल विकास पुष्टाहार, महिला कल्याण एंव बाल कल्याण, निधि महिला कल्याण निगम, राष्ट्रीय बाल भवन वस्त्र शिल्प हस्त मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, मत्स्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, डी०आर०डी०ए० केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्रममंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, राजीव गॉधी फाउन्डेशन, विश्व स्वास्थ संगठन, विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी परिषद, आदि के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों को चलाकर नागरिकों का सर्वागीण विकास करना।

30– निर्धन कन्याओं का विवाह कराना, सामूहिक विवाहों का आयोजन करना व अन्याय मुक्त, अत्याचार मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना करने का प्रयास करना।

31– यह है कि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा स्थापित बोर्डों/ विश्व विद्यालयों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों/ उपाधियों हेतु प्रदान क्रिये जाने वाले प्रमाण पत्रों को न प्रदान किया गया और नही ऐसे पाठ्यक्रम बिना राज्य/भारत सरकार की अनुमति के संचालित ही किये जायेगे।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
21/6/23

5. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता, पद एवं व्यवसाय दिये गये है जिन्हें कि नियमानुसार संख्या में कार्यभार सौपा गया है–

क्र0	नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री पूनम सिंह पत्नीश्री रमन कुमार	ग्रा0–सराय हैवतपुर सिरसा0 जनपद–फिरोजाबाद	अध्यक्ष	गृहकार्य
2	श्री नरेश सिंह पुत्रश्री नाथू सिंह	ग्राम–हुसैनपुर बैजुआ सिरसागंज, फिरोजाबाद।	उपाध्यक्ष	वकालत
3	श्री सौरभ सिंह पुत्रश्री राजबहादुर	ग्रा0–सराय हैवतपुर सिरसा0 जनपद–फिरोजाबाद	प्रबन्धक	अध्ययनरत
4	श्री~~मत्ती~~ पवन सेंगर पुत्र जगदीश सिंह ~~पत्नीश्री रमन सिंह~~	गॉव–नायन, पोस्ट–बलीपुर जनपद–फिरोजाबाद	उपप्रबन्धक	अध्ययनरत
5	श्रीरामवीर सिंह पुत्रश्री जसवंत सिंह	ग्रा0व पों0–उरमुरा जनपद–फिरोजाबाद	कोषाध्यक्ष	कृषि
6	श्री सोवरन सिंह पुत्रश्री गुलाब सिंह	ग्रा0–रूधैनी, पोस्ट–माडई शिकोहाबाद, फिरोजाबाद	सदस्य	कृषि
7	श्री गिर्राज सिंह पुत्रश्री सिकन्दर सिंह	ग्रा0–सिरसाखास, सिरसागंज फिरोजाबाद	सदस्य	कृषि
8	प्रवीन कुमार पुत्रश्री विनोद कुमार	गॉव–सिरसाखास, सिरसागंज जनपद–फिरोजाबाद	सदस्य	कृषि
9	मानवेन्द्र कुमार पुत्रश्री सत्यभान सिंह	गॉव–माहदपुर, पोस्ट–तिलियानी फिरोजाबाद	सदस्य	कृषि
10	कुल भूषण सिंह पुत्रश्री दिवाकर सिंह	गॉव–असवाई, पोस्ट–सरायभरथरा (फिरो0)	सदस्य	कृषि
11	संजय सिंह पुत्रश्री भवतेन्द्र सिंह	गॉव–अहमदपुर, पोस्ट–आमौर, सिरसागंज फिरोजाबाद	सदस्य	कृषि

6. हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता घोषित करते है कि उक्त स्मृति–पत्र एवं संलग्नक नियमावली के अनुसार सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधि0 21 सन् 1860 के अन्तर्गत एक समिति का पंजीयन करना चाहते है

Naresh Singh Rambir Singh

दिनांक– 20/5/17

Saurabh Singh Pavan

MVS Jadon

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान सहायक
कार्या0 उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
21/6/23

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये
रु.10

TEN
RUPEES
Rs.10

सत्यमेव जयते
INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

82AE 215694

यह अनरल स्टाम्प पेपर विधाराम शिक्षण संस्थान
जिला फिरोजाबाद पंजीकृत सं. फिद-58426 के प्रयोग हेतु है।
संशो नियमावली

प्रधान सहायक
कार्या0 उप नियंत्रक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
02.11.23

संशोधित–नियमावली

1. संस्था का नाम — विद्याराम शिक्षण संस्थान,
2. संस्था का पता — ग्राम सराय हैवतपुर, पो0 सिरसागंज, फिरोजाबाद।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र — सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा
4–संस्था के उद्देश्य — संस्था के उद्देश्य स्मृति पत्र में अंकितानुसार होंगे।

5–संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग–

जो सज्जन इस संस्था के उद्देश्यों व नियमों में आस्था एवं विश्वास रखते होगें एवं निर्धारित सदस्यता शुल्क एवं चन्दा देने पर ही इस संस्था के सदस्य बनाये जा सकेगें। जो निम्न वर्ग के होगें –

1. **संरक्षक सदस्य**–जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 11000/–रू0 सदस्यता शुल्क के रूप में निस्वार्थ भाव से देगें अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वह इस संस्था का संरक्षक सदस्य आजीवन रहेगें।
2. **आजीवन सदस्य**–जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 5100/–रू0 सदस्यता शुल्क के रूप में निस्वार्थ भाव से देगें या इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देगें वे इस संस्था के आजीवन सदस्य होगें।
3. **सामान्य सदस्य**–जो सज्जन इस संस्था को 1000/–रू0 वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में दिया करेंगे वे इस संस्था के सामान्य सदस्य होगें।
4. **विशिष्ट सदस्य**– ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एवं संस्था का तन, मन, धन से सहयोग करने के लिये तत्पर रहते हों व जो विद्वान होगें सरकार द्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त सदस्यों, जनप्रतिनिधि सदस्यों को वर्तमान कार्यकारिणी समिति दो वर्ष के लिये संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत करेगी, ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होगें उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान चंदा संस्था को स्वीकार होगा। ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने एवं भाग लेने का अधिकार न होगा।

6–सदस्यता की समाप्ति–

1. सदस्य की मृत्यु होने, पागल या दिवालिया घोषित होने पर ।
2. आचरण भ्रष्ट होने एवं संस्था विरोधी कार्य करने पर।
3. किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक कार्य करने पर दण्डित किये जाने पर।
4. सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर ।
5. संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी कारण के बताये अनुपस्थित रहने पर।
6. किसी सदस्य के विरूद्ध 2/3 बहुमत से अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर।

Punam Pavan Saurabh Singh Ram Vir Singh

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्या0 उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
02.12.23

7. सदस्य द्वारा त्याग–पत्र दिये जाने पर व उसे स्वीकृत होने पर सदस्य की सदस्यता स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।

7–संस्था के अंग– (अ) साधारण सभा । (ब) प्रबन्धकारिणी समिति ।

8–साधारण सभा– (अ) गठन– साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जावेगा ।

(ब) बैठकें– साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है ।

(स) सूचना–अवधि–साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को कम से कम 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को 3 दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित या पर्याप्त माध्यम से सदस्यों को दी जावेगी ।

(द) गणपूर्ति–गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा ।

(य) विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि– संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष होगा जिसकी तिथि संस्था की कार्यकारिणी समिति के बहुमत से तय की जावेगी।

(र) साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य–

1– संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का समय–समय पर चुनाव सम्पन्न कराना ।

2– नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन 2/3 बहुमत से करना ।

3– वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार कर विचार विमर्श कर उसे स्वीकृत/अस्वीकृत करना।

9–प्रबन्धकारिणी समिति–

(अ)गठन–प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था की साधारण सभा मे से बहुमत से 11 सदस्यों को चुनकर किया जायेगा। प्रबन्धकारिणी समिति में एक अध्यक्ष, एक सचिव, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक, एक उपप्रबन्धक, एक कोषाध्यक्ष एवं शेष कार्यकारिणी सदस्य होगें।

(ब)बैठकें–प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में दो तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है ।

(स) सूचना–अवधि–प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना एक दिन पूर्व सूचना कि किसी भी उचित या पर्याप्त माध्यम से सदस्यों को दी जावेगी ।

(द)गणपूर्ति–गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा।

(य)रिक्त स्थानों की पूर्ति– प्रबन्धकारिणी समिति के अर्न्तगत यदि कोई आकस्मिक स्थान पर रिक्त पद हो जाता है तो इस स्थान/पद की पूर्ति साधारण सभा के बहुमत से प्रबन्धकारिणी समिति मे से शेष कार्यकाल के लिये कर ली जावेगी ।

(र) प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य–

1. संस्था के उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना एवं आपसी विवादों को सुलझाना।

Ramvir Singh

Pvnam Pavan Saurabh Singh

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
02.12.23

2. नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन, परिवर्धन 2/3 बहुमत से उसे साधारण सभा से स्वीकृत कराना।
3. वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार करना ।
4. संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों प्रतिष्ठानों, निकायों, नागरिकों आदि से दान, अनुदान, चन्दा, ऋण, एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना, प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ उद्देश्यों की पूर्ति एवं चैरिटैबिल कार्यों पर व्यय करना ।
5. संस्था के विकास हेतु जगह–जगह प्रदेश, मण्डल व जिला स्तरों पर अपने शाखा कार्यालय स्थापित कर उनका संचालन करेगी तथा ऐसी शाखाओं के लिये उपसमितियों गठन व उनकी सेवा शर्त के नियम निर्धारित करना तथा कार्य पूर्ण होने व दोष पूर्ण कार्य करने पर ऐसी उपसमितियों को भंग करना व नवीन उपकार्यकारिणी बनाना तथा उनके कोष पर पूर्ण नियंत्रण रखना क्षेत्रीय स्तर पर उपईकाईयों/उपसमितियों द्वारा कल्याणकारी परियोजनाओं का संचालन करना/कराना।

(ल)कार्यकाल–प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा।

10–पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य–

अध्यक्ष –

1. संस्था की ओर से समस्त प्रकार का मीटिंगो की अध्यक्षता करना।
2. मीटिंग बुलाना व स्थिगित करना किसी विषय पर बराबर मत की दशा में अपना निर्णायक मत देना।
3. संस्था की आम देखभान कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा स्वीकृत कार्यो को करना व संस्था की आम देखभाल करना।

उपाध्यक्ष –

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौपे गये कार्य एवं सामान्य स्थिति में उनका सहयोग करना।

प्रबन्धक –

1. संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना एवं अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना।
2. संस्था के अंतर्गत संचालित संस्थानो व शिक्षण संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निस्कासन, पदोन्नति एवं पदच्युत करना एवं उनकी सेवा के नियम बनाना वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान।
3. संस्था के समस्त दस्तावेजों, ऋण, अनुदान पत्रों, चैंको, ड्रापटों बन्धक विलेखो बिल बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
4. संस्था की चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान अनुदान चन्दा व सदस्यता शुल्क प्राप्त कर सदस्य बनाना, प्राप्त आय को संस्था कोष में जमा करना।
5. कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिये परियोजना तैयार करना व उसे सम्बन्धित विभागों को स्वीकृत के लिये भेजना।

Ramvir Singh

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
02.12.23

6. संस्था के विकास हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था के विकास में सहायक हो करना।
7. संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुंचाना, मीटिंग कार्यवाही लिखना।
8. संस्था की कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार प्रसार करना।
9. संस्था के आय–व्यय का लेखा जोखा रखना एवं समस्त आय–व्यय बही पत्रों को तैयार करना।
10. संस्था के कोष को संस्था के खाते में जमा करना एवं दान अनुदान चंदा आदि प्राप्त करना।

उपप्रबन्धक–

संस्था के प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौंपे गये कार्य करना सामान्य स्थितियों मे उनका सहयोग करना।

कोषाध्यक्ष–

1. संस्था के आय–व्यय का लेखा जोखा रखना एवं समस्त आय–व्यय बही पत्रों को तैयार करना।
2. संस्था के कोष को संस्था के खाते में जमा करना एवं दान अनुदान चंदा आदि प्राप्त करना।
3. **प्रबन्धक द्वारा स्वीकृत कार्यो को करना व बिला ब्राऊचरों का भुगतान करना।**

11–संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन प्रकिया–

संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन सोसा0 रजि0 अधि0 की संगत धारा के अन्तर्गत साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना ।

12–संस्था का कोष एवं लेखा व्यवस्था–

संस्था का कोष किसी भी बैंक या पोस्ट आफिस में जमा किया जावेगा। जिसका संचालन संस्था के अध्यक्ष, प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो लोगों के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा ।

13–संस्था का लेखा परीक्षण(आडिट)–

संस्था का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा किया जायेगा ।

14–संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व–

संस्था द्वारा होने वाली समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही के संचालन की पैरवी संस्था के प्रबन्धक द्वारा अथवा उसके अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

15–प्रतिबन्ध–

क. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

ख. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

ग. विद्यालय मे कम से कम 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।

Pawan Saurabh Singh Ramvir Singh

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान सहायक
कार्या0 उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
02.12.23

घ. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

ङ. संस्था के शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेंगे।

च. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।

छ. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगें संस्था उसका पालन करेगी।

ज. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढाई जा रही है तथा भविष्य में भी हिन्दी अनिवार्य रूप से पढाई जायेगी।

झ. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

ञ. उपर्युक्त कम क से झ मे कोई परिवर्तन/संशोधन बिना शासन एवं विभाग की अनुमति के नहीं दिया जायेगा।

ट. उपर्युक्त कम क से ज तक के प्रतिबन्धों को सोसाइटी के बाईलॉज में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।

16–संस्था के अभिलेखः–

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर ।
3. कैशबुक रसीद बुक,
4. एजेण्डा रजिस्टर
5. निरीक्षण रजिस्टर आदि ।

17–संस्था का विघटन–

यदि दुर्भाग्यवश संस्था विघटित होती है तो विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा–13 व 14 के अन्तर्गत की जावेगी ।

दिनांक **सत्यप्रतिलिपि**

Ramvir Singh

Prem Pawan Saurabh Singh

सत्य प्रतिलिपि
[illegible]
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
[illegible]
2.12.23